



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022024-251957
CG-DL-E-09022024-251957

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2024/माघ 20, 1945

No. 549]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2024/MAGHA 20, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2024

का.आ. 577(अ).—केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (xi) के उपखंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित पदार्थों, साल्ट्स और इनसे बनी सामग्री को निर्मित औषधि घोषित करती है, अर्थात्:-

क्र. सं.	निर्मित औषधि	रासायनिक नाम
(i)	2- मिथाइल-एपी-237	1-{2-मिथाइल-4-[(2ई)-3-फेनीलप्रोप-2-एन-1- इल] पिपरज़ीन-1- इल} बुटान-1-ओने
(ii)	एटाज़ीन	2-[(4-एथोक्सीफेनिल)मिथाइल]-एन,एन- डाईएथाइल-1-एच-बेंजिमिडाज़ोल-1-एथेनमाइन
(iii)	एटोनिटाज़ेपिन	2-[(4-एथोक्सीफेनिल)मिथाइल]-5-नाइट्रो-1-(2-पाइरोलिडिन-1- इलएथाइल)-1-एचबेंजोइमिडाज़ोल
(iv.)	प्रोटोनिटाज़ेन	एन,एन-डाईएथाइल-5-नाइट्रो-2-[(4-प्रोपॉक्सीफेनिल)मिथाइल]-1-एच-बेंजिमिडाज़ोल 1-एथेनमाइन

[फा. सं. एन-12012/2/2022--एनसी-II]

विनोद कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2024

S.O. 577(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby declares that the following substances, salts and preparations thereof to be manufactured drugs, namely: -

S. No.	Manufactured Drug	Chemical name
(i)	2-Methyl-AP-237	1-{2-Methyl-4-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin-1-yl}butan-1-one
(ii)	Etazene	2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1- ethanamine
(iii)	Etonitazepine	2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1Hbenzimidazole
(iv,)	Protonitazene	N,N-Diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazole-1- ethanamine

[F. No. N-12012/2/2022-NC-II]

VINOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2024

का.आ. 578(अ).—जबकि केंद्र सरकार, जानकारी और प्रमाणों, जो इसके लिए उपलब्ध हो गया है, प्रकृति और प्रभाव के संबंध में और निम्नलिखित पदार्थों (प्राकृतिक या सिंथेटिक) या प्राकृतिक सामग्री या किसी भी साल्ट या इसके दुरुपयोग की गुंजाइश के आधार पर ऐसे पदार्थों या सामग्रियों की तैयारी, और ऐसे पदार्थों के संबंध में संशोधन और मनःप्रभावी पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेशन 1971 में शामिल किए गए बदलाव, कि निम्नलिखित पदार्थों या प्राकृतिक सामग्रियों या साल्ट्स को जोड़ना आवश्यक है या ऐसी तैयारी मादक पदार्थों की सूची में पदार्थ या ऐसी सामग्री के आधार पर संतुष्ट है जो स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 के 61) (एतश्मनपश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में यथा संदर्भित) की अनुसूची में निर्दिष्ट है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, क्रम सं. 110ZZB, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम. संख्याओं और प्रविष्टियों के अंतः स्थापित किया गया है, अर्थात्:

क्र. सं.	अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम	अन्य गैर-स्वामित्व नाम	रासायनिक नाम
"110ZZC		एडीबी-ब्यूटिनाका	एन-[1-(एमिनोकार्बोनिल)-2,2-डाइमिथाइलप्रोपाइल]-1-ब्यूटाइल-1एच-इंडाज़ोल-3-कार्बोक्सामाइड
110ZZD		अलफा-पीआईएचपी	4-मिथाइल-1-फिनाइल-2-(पायरोलिडिन-1-इल)पेंटन-1-ओने
110ZZE		3-मिथाइलमेथेथिनोन	2-(मिथाइलैमिनो)-1-(3-मिथाइलफेनिल)प्रोपेन-1-ओने"

[फा. सं. एन-12012/2/2022--एनसी-II]

विनोद कुमार, निदेशक

टिप्पणी: नशीली दवाओं और स्वापक पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची में का.आ. 785(अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 1992 के तहत पहली बार संशोधन किया गया था और इसमें बाद में संशोधन का.आ. 49(अ), दिनांक 8 जनवरी, 1993, का.आ. 39(अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996, का.आ. 475(अ), दिनांक 11 जून, 2003, सा.का.नि. 621(अ), दिनांक 1 अगस्त, 2003, सा.का.नि. 1(ई), दिनांक 2 जनवरी, 2004, का.आ. 311 (ई), दिनांक 10 फरवरी, 2011, का.आ. , 2016, का.आ. क्रमांक 1383 (अ), दिनांक 2 मई, 2017, का.आ. 821(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018, का.आ. 1761(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2018 और का.आ. 3448(अ) दिनांक 13 जुलाई, 2018, का.आ. 1352(अ), दिनांक 13 मार्च 2019, का.आ. 1275(अ), दिनांक 23 मार्च 2021, का.आ. 4428(अ), दिनांक 22 सितंबर 2022 और का.आ. 5319(अ), दिनांक 16 नवंबर 2022 के अंतर्गत किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2024

S.O. 578(E).—Whereas the Central Government is satisfied, on the basis of information and evidence which has become available to it, with respect to the nature and effect of and the scope for abuse of the following substances (natural or synthetic) or natural material or any salt or preparation of such substances or materials, and the modification with respect to such substances and the changes that have been incorporated in the United Nations Convention on Psychotropic Substances, 1971, that it is necessary to add the following substances or natural materials or salts or preparation of such substances or materials in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) (hereinafter referred to as the said Act);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the said Act, namely: -

In the said Act, in the Schedule, after serial number 110ZZB and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be inserted, namely: -

SI. No.	International non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
“110ZZC		ADB-BUTINACA	N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-butyl1H-indazole-3-carboxamide
110ZZD		Alpha-PiHP	4-methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
110ZZE		3-Methylmethcathinone	2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-one”.

[F. No. N-12012/2/2022-NC-II]

VINOD KUMAR, Director

Note: The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) was first amended, vide number S.O. 785(E), dated the 26th October, 1992 and subsequently amended, vide numbers S.O. 49(E), dated the 8th January, 1993, S.O. 39(E), dated the 12th January, 1996, S.O. 475(E), dated the 11th June, 2003, G.S.R. 621(E), dated the 1st August, 2003, G.S.R. 1(E), dated the 2nd January, 2004, S. O. 311 (E), dated the 10th February, 2011, S. O. 376 (E), dated the 5th February, 2015, S. O. No. 2374 (E), dated the 12th July, 2016, S.O. No. 1383 (E), dated the 2nd May, 2017, S.O. 821(E), dated the 27th February, 2018, S.O. 1761(E), dated the 26th April, 2018 and S.O. 3448(E) dated the 13th July, 2018, S.O. 1352(E), dated the 13th March 2019, S.O. 1275(E), dated the 23rd March 2021, S.O. 4428(E), dated the 22nd September 2022 and S.O.5319, dated the 16th November, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2024

का.आ. 579(अ).—केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (viiक) और (xxiiiक) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा संख्या का.आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001, के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 238ZZZ और इससे संबंध प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियों का समावेशन किया जाएगा, अर्थात्:—

क्र. सं.	स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों (अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम (आईएनएन)) के नाम	अन्य गैर-स्वामित्व नाम	रासायनिक नाम	अल्प मात्रा (ग्रा में)	वाणिज्यिक मात्रा (ग्रा/किग्रा में)
“238ZZZA	2- मिथाइल-एपी-237		1-{2-मिथाइल-4-[(2ई)-3-फेनीलप्रोप-2-एन-1- इल] पिपरजीन-1- इल} बुटान-1-ओने	1.5 ग्राम	75.0 ग्राम
238ZZZB	एटाजीन		2-[(4-एथोक्सीफेनिल)मिथाइल]-एन,एन-डाइएथाइल-1एच-बैंजिमिडाज़ोल-1-एथेनमाइन	3.0 ग्राम	150.0 ग्राम
238ZZZC	एटोनिटाज़ेपिन		2-[(4-एथोक्सीफेनिल)मिथाइल]-5-नाइट्रो-1-(2-पाइरोलिडिन-1-इलएथाइल)-1एचबैंजिमिडाज़ोल	0.0005 ग्राम	0.025 ग्राम
238 ZZZD	प्रोटोनिटाज़ेन		एन,एन-डाइएथाइल-5-नाइट्रो-2-[(4-प्रोपॉक्सीफेनिल)मिथाइल]-1एच-बैंजिमिडाज़ोल-1-एथेनमाइन	0.0017 ग्राम	0.085 ग्राम
238ZZZE		एडीबी-ब्यूटिनाका	एन-[1-(एमिनोकार्बोनिल)-2,2-डाइमिथाइलप्रोपाइल]-1-ब्यूटाइल-1एच-इंडाज़ोल-3-कार्बोक्सामाइड	0.1 ग्राम	5.0 ग्राम
238 ZZZF		अल्फा-पीआईएचपी	4-मिथाइल-1-फिनाइल-2-(पायरोलिडिन-1- इल)पेंटन-1-ओने	1 ग्राम	50 ग्राम
238ZZZG		3-मिथाइलमेथेथिनोन	2-(मिथाइलैमिनो)-1-(3-मिथाइलफेनिल)प्रोपेन-1-ओने”।	7.5 ग्राम	375 ग्राम”.

[फा. सं. एन-12012/2/2022--एनसी-II]

विनोद कुमार, निदेशक

टिप्पणी: मुख्या अधिसूचना संख्या का.आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 के तहत, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् संख्या का.आ. 2941 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2009, का.आ. 1430 (अ), दिनांक 21 जून, 2011, का.आ. 375 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 2015, का.आ. 2375(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2016, का.आ. 384 (अ), दिनांक 2 मई, 2017, का.आ. 822(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018, का.आ. 1762(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2018, का.आ. 1351(अ), दिनांक 13 मार्च 2019, का.आ. 1276(अ), दिनांक 23 मार्च 2021, का.आ. 4429(अ), दिनांक 22 सितंबर 2022 और का.आ. 5320(अ), दिनांक 16 नवंबर 2022 के अंतर्गत किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2024

S.O. 579(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (viiia) and (xxiiia) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001, namely: -

In the said notification, in the Table, after serial number 238 ZZZ and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be inserted, namely: -

S. No.	Name of Narcotic Drug and Psychotropic Substance (International non-proprietary name (INN))	Other non-proprietary name	Chemical Name	Small Quantity (in gm.)	Commercial Quantity (in gm./ kg.)
1	2	3	4	5	6
“238ZZA	2-Methyl-AP-237		1-{2-Methyl-4-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin-1-yl}butan-1-one	1.5 gm	75.0 gm
238ZZB	Etazene		2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine	3.0 gm	150.0 gm
238ZZC	Etonitazepyne		2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1Hbenzoimidazole	0.0005 gm	0.025 gm
238 ZZZD	Protonitazene		N,N-Diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazole-1-ethanamine	0.0017 gm	0.085 gm
238ZZE		ADB-BUTINACA	N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-butyl1H-indazole-3-carboxamide	0.1 gm	5.0 gm
238 ZZZF		Alpha-PiHP	4-methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one	1 gm	50 gm
238ZZG		3-Methylmethcathinone	2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-one	7.5 gm	375 gm”.

[F. No. N-12012/2/2022-NC-II]

VINOD KUMAR, Director

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 2941 (E), dated the 18th November, 2009, S.O. 1430 (E), dated the 21st June, 2011, S.O. 375 (E) dated the 5th February, 2015, S. O. 2375(E), dated the 12th July, 2016, S.O. 384 (E), dated the 2nd May, 2017, S.O. 822(E), dated the 27th February, 2018, S.O. 1762(E), dated the 26th April, 2018, S.O. 1351(E), dated the 13th March 2019, S.O. 1276(E), dated the 23rd March 2021, S.O. 4429, dated the 22nd September 2022 and S.O. 5320 (E), dated 16th November, 2022.